5 रु. कोर्ट फी FIVE RUPEES भारत INDIA

क्रमांक. .... / 2013–14
प्रस्तुति दिनांक / / 2013

रा.रा. श्रीमान राजस्व मण्डल, ग्वालियर, केम्प इंदौर (म.प्र.)

रतनलाल पिता स्व श्री बद्रीलाल खण्डेलवाल,
आयु–70वर्ष, धंधा–सेवानिवृत्त,
निवासी–75, ग्राम किशनगंज, तह महू, जिला इंदौर म प्र .... प्रार्थी/निगरानीकर्ता

विरूद्ध

म. प्र. सडक विकास निगम लि, तर्फे संभागीय प्रबंधक
संभाग क्र 1, इंदौर, ऑ–पी डब्ल्यू डी ऑफिस कैम्पस,
नवनीत टॉवर के सामने, ग्रेटर कैलाश रोड,
ओल्ड पलासिया, इंदौर, जिला इन्दौर (म.प्र.) ....प्रतिप्रार्थी/उत्तरार्थी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से सादर निवेदन है कि :–

यह कि, निगरानीकर्ता के द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय, इन्दौर जिला इन्दौर (म.प्र.) पीठासीन अधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी साहब के द्वारा प्रकरण क्र. /अपील/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 29.08.2013 से व्यथित हो यह निगरानी निम्न एवं अन्य अनेकानेक विधिक आधारों पर निम्नानुसार सादर प्रस्तुत है कि –

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि प्रतिप्रार्थी द्वारा निगरानीकर्ता के स्वमित्व एवं आधिपत्य का मकान ग्राम किशनगंज, महू जिला इन्दौर जो कि पूर्व आगरा–बाम्बे रोड़ एन.एच.–3, के समीप स्थित है, के संदर्भ से एक सूचना–पत्र क्रमांक 2158/राउ–महू–मण्डलेश्वर/म प्र स वि नि/2012, इंदौर, दिनांक 28/12/2012 का सूचना–पत्र म प्र राज्यमार्ग अधिनियम 2004 की धारा 34(1) के अंतर्गत तथाकथित अनाधिकृत अतिक्रमण हटाने बाबद प्रेषित किया गया था जबकि निगरानीकर्ता द्वारा कोई अवैध निर्माण कार्य कर अपना मकान निर्मित नही किया है ना ही किसी प्रकार का कोइ अतिक्रमण किया है और ना ही पूर्व में ऐसा कोई सूचनापत्र निगरानीकर्ता को प्राप्त हुआ है। उक्त सूचनापत्र निगरानीकर्ता को दिनांक 18/01/2013 को प्राप्त हुआ है। जिससे परिवेदित हो निगरानीकर्ता के द्वारा समयावधि में दिनांक 24.01.2013 को श्रीमान कलेक्टर महोदय, इंदौर मप्र के समक्ष एक अपील अंतर्गत धारा – 35 म प्र राजमार्ग अधिनियम 2004 के तहत अपने मकान की भूमि के स्वामित्व का दावा करते हुए प्रस्तुत की गई।

2. यह कि निगरनीकर्ता द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय, इंदौर म प्र के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने के पूर्व प्रतिप्रार्थी/रेस्पॉन्डेंट के उक्त सूचना–पत्र का समुचित प्रतिरक्षण करते हुए अपने अभिभाषक के माध्यम से उक्त सूचनापत्र का उत्तर दिनांक

29.04.2014	आवेदक की ओर से श्री [illegible] कश्यप अभिभाषक उपस्थित। उनके द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस किये जाने का अनुरोध किया गया। अनुरोध स्वीकार किया जाता है। इस प्रकरण में कोई कार्यवाही प्रकरण वापिस लिये जाने के कारण शेष नहीं होने से समाप्त किया जाता है। अध्यक्ष	[illegible] 5891 / 29-[illegible] [illegible]

सत्य प्रतिलिपि

अवर सचिव, राजस्व मण्डल

ग्वालियर (म.प्र.)